प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 19 नवम्बर, 2018 को राज्य के सभी नगर निकायों के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों के साथ आयोजित विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति– पंजी के अनुसार।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19 नवम्बर, 2018 को राज्य के सभी नगर निकायों के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं यथा केन्द्र प्रायोजित योजना, राज्य योजना, राजस्व संग्रहण आदि की समीक्षा बैठक विभागीय सभाकक्ष में की गयी। बैठक के क्रम में निम्नवत निर्देश दिये गये :–

SBM -

PFMSलागू होना :–

- ICICI Bank को एक सप्ताह के अंदर PFMS के माध्यम से SBM योजना का भुगतान लागू करने का निदेश ICICI Bank के प्रतिनिधि श्री किंगसुक मजूमदार को दिया गया।
- इनके द्वारा बैठक में उपस्थित सभी निकाय के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/प्रतिनिधि को PFMS Operate करने के लिये प्रशिक्षण दिया गया एवं एक सप्ताह का समय PFMS में रजिस्ट्रेशन करने के लिये दिया गया है। नगर निकायों को निर्देश दिया गया कि ICICI Bank के स्थानीय शाखा से संपर्क कर, एक सप्ताह के अंदर PFMS पर रजिस्ट्रेशन संपन्न कर विभाग को अवगत कराया जाय।

निकायों में Plastic Ban लागू होना :–

- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि सभी नगर निकायों को **बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, 2018** का मॉडल प्रारूप दिनांक–23.10.2018 को भेजा जा चुका है, जिसमें निकाय को निदेश की प्रति भी भेजी गयी है। 30 दिनों की समाप्ति के बाद इसे बोर्ड की बैठक/सशक्त स्थाई समिति की बैठक में अनुमोदित कर निकाय द्वारा अंगीकृत करते हुये मुख्यालय को अंतिम समय–सीमा दिनांक–30.11.2018 तक भेजना सुनिश्चित किया जाय ताकि इसे बिहार गजट में प्रकाशित करवाया जाय।
- सभी शहरी स्थानीय निकायों में दिनांक 14.12.2018 से **बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, 2018** का प्रावधान प्रभावी हो जायेंगे। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन किया जाना है। निकाय स्तर पर जिला पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर छापेमारी का कार्य City Squad (छापेमारी दल) का गठन भी किया जाना है। इसके लिये निदेश की प्रति सभी निकायों को भेजा जा चुका है। दिनांक–14.12.2018 से पहले सभी निकाय की जिम्मेवारी होगी कि इस संबंध में क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

IHHL/CT/PT प्रगति की समीक्षा :–

- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत दिसंबर, 2018 तक Central Portal पर MIS Update करने का मौका दिया गया है। इसके अंतर्गत निकाय में लक्ष्य के सभी Data को 100% Upload किये जाने के विरुद्ध 90% लक्ष्य की प्राप्ति करने का समय निर्धारित किया गया है।

- समीक्षा के क्रम में ज्यादातर नगर निकायों द्वारा Data एवं फोटो अपलोड होने की समस्या से अवगत कराया गया, जिस पर निदेश दिया गया कि जिन नगर निकायों में Data या Geo Tag फोटोग्राफ अपलोड करने में दिक्कत आ रही है वे ICICI बैंक के श्री किंगसुक मजूमदार के मोबाईल नं.–9570189879 से सीधे संपर्क स्थापित कर मदद ले सकते हैं। बैठक में उपस्थित ICICI बैंक के प्रतिनिधि को भी निदेश दिया गया कि वे अपने सभी Branch के माध्यम से उपरोक्त कार्य में समन्वय करेंगे।

- **<u>विभिन्न निकायों में व्यक्तिगत शौचालय लक्ष्य के विरुद्ध शेष बचे हुये लक्ष्यों की स्थिति</u>** :–

(i) पटना नगर निगम– 5,361 लाभुकों को अभी तक कार्यादेश निर्गत नहीं किया गया है। नगर निकाय के प्रतिनिधि द्वारा दिसंबर माह तक लक्ष्य समाप्त करने की सहमति दी गयी।

(ii) बगहा– 5,76 लाभुकों को अभी तक कार्यादेश निर्गत नहीं किया गया है। नगर निकाय के प्रतिनिधि द्वारा दिसंबर माह तक लक्ष्य समाप्त करने की सहमति दी गयी।

(iii) सहरसा– 1,986 लाभुकों को अभी तक प्रथम किश्त की राशि प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर कार्यपालक पदाधिकारी सहरसा द्वारा बताया गया कि 1,000 Editing करवाया गया है। निदेश दिया गया कि बाकी बचे 9,86 लाभुकों को नवंबर माह के अंत तक राशि उपलब्ध करवाई जायी एवं सभी लक्ष्यों को दिसंबर तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(iv) बेनीपुर– 1,620 लाभुकों को अभी तक कार्यादेश निर्गत नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि शेष बचे 1,620 लाभुकों को नवंबर माह के अंत तक राशि उपलब्ध करवाई जायी एवं सभी लक्ष्यों को दिसंबर तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(v) नवीनगर– नवीनगर द्वारा जानकारी दिया गया कि उनके द्वारा प्रथम किश्त की राशि उपलब्ध करा दी गयी है। सभी लक्ष्य दिसंबर तक पूर्ण करने की सहमति दी गयी।

(vi) मधेपुरा– 1,155 लाभुकों को अभी तक कार्यादेश निर्गत नहीं किया गया है। इस पर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी। सभी को कार्यादेश दिया गया है, किंतु राशि हस्तांतरित नहीं की गयी है। निदेश दिया गया कि नवंबर माह तक सभी लाभुकों को राशि हस्तांतरित कर शौचालय निर्माण कार्य करवाया जाय एवं दिसंबर माह तक सभी लक्ष्यों को पूर्ण किया जाय।

(vii) कसबा– 1,103 लाभुकों को अभी तक कार्यादेश निर्गत नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि शेष बचे 1,103 लाभुकों को नवंबर माह के अंत तक राशि उपलब्ध करवाई जाय एवं सभी लक्ष्यों को दिसंबर तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(viii) अररिया– 1,064 लाभुकों को अभी तक कार्यादेश निर्गत नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि शेष बचे 1,064 लाभुकों को नवंबर माह के अंत तक राशि उपलब्ध करवाई जायी एवं सभी लक्ष्यों को दिसंबर तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

- **<u>द्वितीय किश्त Individual Toilet के अंतर्गत विभिन्न नगर निकायों कि स्थिति</u>** :–

(i) बेगूसराय– 7,717 लाभुकों को अभी तक द्वितीय किश्त की राशि नहीं दी गयी है। इस संबंध में नगर आयुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि ज्यादातर लाभुकों द्वारा पक्के छत की जगह करकट/कच्ची किस्म का छत दिया गया है, जिसके कारण उन्हें द्वितीय किश्त नहीं दी जा सकी। निदेश दिया गया कि सभी कच्ची छतों के लिये पक्की छत का निर्माण जल्द से जल्द

करवाया जाय। इसके लिये वे एक विशेष अभियान चलायें एवं शौचालय निर्माण का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करवायें।

(ii) समीक्षा के क्रम में ऐसे नगर निकाय जहाँ अभी तक 2 हजार से ज्यादा लाभुकों को द्वितीय किश्त की राशि दी जानी है, वे निम्नवत् हैं :–
"सहरसा, पटना, बेनीपुर, बहादुरगंज, सिमरी, बख्तियारपुर, रिवीलगंज, मढ़ौरा, मुरलीगंज, बरौली एवं कटिहार"।

उपरोक्त सभी नगर निकायों को निदेश दिया गया कि जल्द से जल्द जाँच कर द्वितीय किश्त की राशि दिसंबर माह तक पूर्ण किया जाय।

(iii) ऐसे नगर निकाय जहाँ एक हजार से ज्यादा लाभुकों को द्वितीय किश्त दी जानी है :–
"दिघवारा, महनार, मुंगेर, दरभंगा, पकड़ीदयाल, गोगरी जमालपुर, सुपौल, केसरिया, कसबा, किशनगंज, महुआ, महेशी, ढ़ाका, मुजफ्फरपुर"।

उपरोक्त नगर निकायों को निदेश दिया गया कि सभी लाभुकों को दिसंबर माह तक द्वितीय किश्त की राशि हस्तांतरित की जाय एवं शौचालय निर्माण कार्य जल्द से जल्द करवाया जाय।

- SOLID WASTE MANAGEMENT Rule, 2016 **के क्रियान्वयन की समीक्षा** :–

1. सभी नगर निकायों को पिछली बैठक में Solid Waste Management Rule, 2016 के क्रियान्वयन में निम्नवत कार्य करने का निदेश दिया गया था–

(i) निकाय के शत प्रतिशत वार्डों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कचड़े का पृथक्कीकरण (गीले एवं सूखे कचड़े का अलग–अलग संग्रहण करना)।

(ii) पृथक्कीकृत कचड़े को टीपर/ट्राईसाइकिल/ठेला आदि वाहनों से संग्रहण कर गीले कचड़े को कम्पोस्टिंग स्थल पर पहुँचाना एवं उससे खाद तैयार करना एवं सूखे कचड़े को कबाड़ी वाले या रिसाईक्लर को पहुँचाना। रैग पीकर की पहचान कर उन्हें आई–कार्ड प्रदान करना एवं उसे प्रोत्साहित कर कचड़े के संग्रहण में लगाना।

(iii) सभी निकायों द्वारा कम्पोस्टिंग कार्य हेतु 3 हजार से 4 हजार sqft. का जगह का चयन करना एवं कम्पोस्टिंग कार्य को शुरु कराना।

इस बैठक में समीक्षा के दौरान 10 से 12 निकायों ने ही उपरोक्त निदेश के आलोक में कार्य करने की जानकारी दी गयी। शेष निकायों को निदेशित करते हुये 15 दिनों का समय दिया गया है। सभी नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी को इस कार्य में रुचि लेते हुये हर हाल में दिसंबर, 2018 तक शत–प्रतिशत कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया और प्रगति प्रतिवेदन विभाग को नियमित रूप से भेजा जाय।

2. प्रधान सचिव द्वारा 42 नगर निकायों का Solid Waste Management का DPRs भारत सरकार को राशि विमुक्त करने के लिए भेजा जा चुका है। अतः, इन निकायों को अपनी प्रारंभिक गतिविधि प्रारंभ करने के लिए निदेश दिया गया है।

3. शेष वैसे नगर निगम एवं नगर परिषद जिनका Solid Waste Management का DPRs नहीं बना है, उन्हें दिनांक–24.11.2018 को विभाग द्वारा DPR बनाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने

का निदेश दिया गया है। SBM PMU को उक्त दिवस को प्रशिक्षण आयोजित कर जल्द से जल्द DPR बनाकर भारत सरकार को भेजे जाने का निदेश दिया गया।

4. सभी निकायों को निदेश दिया गया कि Composting हेतु जमीन की उपलब्धता की सूचना विभाग को Geo Tag Photographs एवं संबंधित सूचना एक सप्ताह के अंदर भेजना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उनका EOI पर कार्य प्रारंभ किया जाय।

- **<u>स्वच्छ सर्वेक्षण, 2019/ODF-MIS Update/Star Ranking Registration</u> :–**

(i) स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2019, जिसमें 3 माह (अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर, 2018) का निकाय में चल रहे कार्यों का Self Assessment कर भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण पोर्टल पर MIS Data Upload हर माह किया जाना है, जिसकी सूचना PMU के द्वारा समय–समय पर दिया जाता है। सभी निकाय इसका अनुपालन सख्ती से करेंगे ताकि आपके निकाय का Assessment दिनांक 4 जनवरी से 31 जनवरी तक कराया जा सके।

(ii) सभी निकायों को निदेशित किया गया कि ODF Protocol के लिए भारत सरकार के नये निदेश के अनुसार सभी निकायों को ODF Portal पर लक्ष्य के विरुद्ध 90% MIS Update करना है। प्रस्तावित QCI ODF Assessment के लिए विभिन्न निकायों यथा मुजफ्फरपुर, बांका, बेनीपुर, सुगौली, अरेराज, बहादुरगंज, मीरगंज, बरौली, बखरी, दरभंगा, सहरसा, नरकटियागंज, नवीनगर, केसरिया एवं सिमरी बख्तियारपुर से अक्टूबर माह में आवेदन प्राप्त हुआ था। नये नियम के अनुसार MIS 90% ODF Portal पर जल्द से जल्द अपलोड करने के बाद ही इनका Assessment कराया जायगा।

(iii) Star Ranking शहरों की पहचान के लिये इसके पोर्टल पर अपने निकायों को दिनांक–31.12.2018 तक रजिस्ट्रेशन करने का अंतिम समय–सीमा दिया गया है। वैसे निकायों, जिन्होंने QCI द्वारा ODF Certified हो गये हैं, उन्हें कम से कम 3 Star का दर्जा दिया जाना है। अतः, ऐसे सभी निकाय Star Ranking Portal पर अपना Ranking अवश्य सुनिश्चित करें।

<u>AMRUT योजना</u> –

<u>पार्क निर्माण योजना</u> :–

- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, हाजीपुर को दिनांक–26.11.2018 तक पार्क निर्माण/विकास हेतु जिलाधिकारी/महाप्रबंधक, रेलवे से समन्वय स्थापित कर पार्क के स्थल का चयन कर DPR समर्पित करने का निर्देश दिया गया अन्यथा पार्क योजना रद्द होने की बात कही गयी।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर द्वारा बताया गया कि पार्क निर्माण अन्तर्गत Boundary wall का कार्य चल रहा तथा Non-schedule items के Quotation हेतु प्रक्रिया की जा रही है।
- नगर निगम, बेगूसराय के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि धार्मिक न्यास परिषद, द्वारा पार्क निर्माण हेतु NOC नहीं दिया गया है। निर्देश दिया गया कि पार्क निर्माण के संबंध में दिनांक 26.11.2018 तक निर्णय लेकर निश्चित रूप से विभाग को सूचित किया जाय ताकि इस संबंध में अन्तिम रूप से कोई निर्णय लिया जा सके अन्यथा पार्क योजना पर विचार नहीं किया जाएगा।
- नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर द्वारा बताया गया कि कृष्णा वाटिका पार्क का Lottery 27.11.2018 को होना निश्चित हुआ है। कृष्णा सेवा सदन पार्क एवं नन्द कुमार पार्क के सी./एस. का निर्णय

कार्यपालक अभियंता, डूडा, मूंगेर द्वारा निष्पादित किया जाना है। कंपनी गार्डन पार्क का वित्तीय बिड खोलकर मुख्यालय में समर्पित किया जाना है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब निविदा निष्पादित कराकर कार्य आरम्भ कराया जाय।

- नगर निगम, छपरा के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क के निर्माण की प्रगति के संबंध में जानकारी दी गयी। उनके द्वारा अन्य पार्क के निर्माण हेतु भूमि की अनुपलब्धता की बात कही गयी। इसके कारण पार्क योजना रद्द होने की बात कही गयी।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद द्वारा बताया गया कि पार्क का SAAP-I, SAAP-II एवं SAAP-III का समेकित DPR के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। T/S हेतु estimate समर्पित करने हेतु निदेश दियाग या।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मोतिहारी द्वारा बताया गया कि SAAP-1 के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का Civil Work प्रगति में है। उनके द्वारा SAAP-II के अन्तर्गत T/S हेतु estimate समर्पित करने की बात कही गयी। कार्यपालक पदाधिकारी को बताया गया कि समर्पित T/S हेतु समर्पित estimate में कुछ त्रुटियाँ हैं। उन्हें ठीक कर समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् सिवान द्वारा SAAP-I के अन्तर्गत पार्क निर्माण की प्रगति के संबंध में जानकारी दी गई। SAAP-II के अन्तर्गत पार्क निर्माण नहीं होने की बात कही गई तथा पार्क निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई। इसके कारण SAAP- II & SAAP-III की पार्क योजना रद्द होने की बात कही गयी।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज द्वारा बताया गया कि SAAP-1 के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का civil work पूर्ण हो चुका है। SAAP-I अन्तर्गत पार्क हेतु आवंटन की माँग की गई। SAAP-II एवं SAAP-III अन्तर्गत पार्क हेतु जमीन उपलब्ध नहीं होने की बात कही गयी, अतः पार्क योजना रद्द होने की बात कही गयी।
- नगर निगम, कटिहार के नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क की निविदा तीन बार आमंत्रित की गई, किन्तु सफल नहीं हो सका। यह भी बताया गया कि पुनः निविदा की कार्रवाई की जा रही है। पुनर्निविदा की कार्रवाई शीघ्र करने का निर्देश दिया गया। अमृत अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु अतिशीघ्र Revised T/S हेतु estimate समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- नगर निगम, पूर्णिया के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अमृत योजना के SAAP-I एवं SAAP-II अन्तर्गत समेकित पार्क निर्माण की निविदा का C/S मुख्यालय में समर्पित कर दिया गया है। SAAP- III अंतर्गत पार्क हेतु जमीन उपलब्ध नहीं होने की बात कही गयी, अतः उक्त पार्क योजना रद्द होने की बात कही गयी।
- कार्यपालक पदा०, नगर परिषद, बेतिया द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का Civil work 90% पूर्ण हो चुका है। इनके द्वारा आवंटन की माँग की गई। यह भी बताया गया कि SAAP-II के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का NOC बेतिया राज द्वारा नहीं दिया गया है। उपस्थित पदाधिकारी द्वारा तीसरे पार्क हेतु स्थल नहीं उपलब्ध होने की जानकारी दी गयी, अतः पार्क योजना रद्द होने की बात कही गयी।

- नगर निगम, भागलपुर के प्रतिनिधि द्वारा SAAP-I के अन्तर्गत बनने वाले लाजपत पार्क के संबंध में बताया गया कि Estimate का T/S किया जा चुका है। निर्देश दिया गया कि अविलंब निविदा निष्पादित किया जाय तथा SAAP-II अन्तर्गत भैरवा पार्क के DPR का Review कर 26.11.2018 तक विभाग को समर्पित किया जाय। SAAP-III अन्तर्गत पार्क हेतु भूमि के अनुपलब्धता की बात कही गयी। अतः SAAP-III अन्तर्गत पार्क योजना रद्द होने की बात कही गयी।
- नगर निगम, पटना के प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया कि SAAP-I एवं SAAP-II (समेकित) अन्तर्गत पार्क निर्माण कार्य में तेजी लाया जाय तथा पाटलिपुत्र मैदान में बनने वाले पार्क का DPR दिनांक 26.11.2018 तक अनिवार्य रूप से विभाग को समर्पित किया जाय।
- सभी नगर निकायों को निर्देश दिया गया कि सभी पार्क योजनाओं के Non-schedule items के कोटेशन हेतु प्रक्रिया अविलम्ब आरम्भ की जाय ताकि पार्क योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब न हो।

जलापूर्ति योजना :–

- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि हाजीपुर जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 64.830 km के विरूद्ध अभी तक 55.846 km पाईप बिछाया गया है तथा कुल प्रावधानित गृह जल संयोजन 9898 के विरूद्ध 3527 गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया कि बक्सर जलापूर्ति योजना, फेज–1 में प्रावधानित 57.563 km के विरुद्ध 29.856 km पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 4739 के विरूद्ध 1976 गृह जल संयोजन किया गया है। इन्हें कार्य में गति बढ़ाने का निदेष दिया गया।
- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि छपरा जलापूर्ति योजना फेज –1 में प्रावधानित 72.985 km के विरूद्ध अभी तक 61.877 km पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 16474 के विरूद्ध 4816 गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि बगहा जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 46. 548 km के विरूद्ध अभी तक 34.544 km पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 8730 के विरूद्ध 2501 गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि जहानाबाद जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 37.002 km के विरूद्ध अभी तक 15.555 km पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 15318 के विरूद्ध 548 गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि मोतिहारी जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 56.909 km के विरूद्ध अभी तक 13.048 km पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 7428 के विरूद्ध 972 गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि सिवान जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 49.738 KM के विरूद्ध अभी तक 45.153 KM पाइप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 10668 के विरूद्ध 4441 गृह जल संयोजन किया गया है।

- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 49.555 km के विरूद्ध अभी तक 39.148 km पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 3770 के विरूद्ध शून्य गृह जल संयोजन किया गया है। **इन्हें गृह जल संयोजन अतिशीघ्र प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।**
- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि सहरसा जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 189.584 km के विरूद्ध अभी तक 28.090 km पाईप बिछाया गया है जबकि प्रावधानित गृह जल संयोजन 28369 के विरूद्ध 1643 गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि सासाराम जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 117.008 km के विरूद्ध अभी तक 67.000 km पाईप बिछाया गया है जबकि प्रावधानित गृह जल संयोजन 14533 के विरूद्ध शून्य गृह जल संयोजन किया गया है। **इन्हें गृह जल संयोजन अतिशीघ्र प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।**
- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि बेतिया जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 197.429 km के विरूद्ध अभी तक 5.4150 km पाईप बिछाया गया है जबकि प्रावधानित गृह जल संयोजन 21864 के विरूद्ध शून्य गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि बेगुसराय जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 82.680 km के विरूद्ध अभी शून्य km पाईप बिछाया गया है जबकि प्रावधानित गृह जल संयोजन 28025 के विरूद्ध शून्य गृह जल संयोजन किया गया है। **इन्हें गृह जल संयोजन अतिशीघ्र प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।**
- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि किषनगंज जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 60.029 km के विरूद्ध अभी तक शून्य km पाईप बिछाया गया है जबकि प्रावधानित गृह जल संयोजन 10700 के विरूद्ध शून्य गृह जल संयोजन किया गया है। **इन्हें गृह जल संयोजन अतिशीघ्र प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।**
- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि आरा जलापूर्ति योजना फेज–1 एवं फेज–2 में प्रावधानित 60.029 km एवं 78.029 km के विरूद्ध अभी तक शून्य km पाईप बिछाया गया है जबकि प्रावधानित गृह जल संयोजन 25167 एवं 10021 के विरूद्ध शून्य गृह जल संयोजन किया गया है। इन्हें NOC लेकर कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।
- नगर निकायों द्वारा बताया गया कि पाईप लाईन बिछाने के क्रम में Restoration का कार्य नहीं कराया जा रहा है। निर्देश दिया गया कि Restoration कार्य को अविलंब पूरा किया जाय ताकि किसी भी प्रकार की असुवधिा एवं दुर्घटना से बचा जा सके।
- यह भी निर्देश दिया गया कि BRJP एवं ULB के पदाधिकारियों के बीच नगर निकाय में नियमित साप्ताहिक बैठक सुनिश्चित किया जाय।

<u>एफ०एस०एस०एम० कटिहार योजना</u> :–

- नगर निगम, कटिहार के प्रतिनिधि को निदेश दिया गया कि जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कर एवं टेंडर से संबंधित डॉक्यूमेंट्स शीघ्र तैयार किया जाय।

- सभी संबंधित नगर निकायों को अमृत योजना अन्तर्गत जलापूर्ति योजनाओं का आवंटन BRJP को 30.11.2018 से पूर्व Transfer करने का निर्देश दिया गया।
- अमृत योजना अन्तर्गत सभी नगर निकायों को सभी अमृत योजनाओं का 5 फोटोग्राफ अविलम्ब Geo - Tagging करने का निदेश दिया गया।
- सभी ULB प्रतिनिधि को निदेश दिया गया कि WAPCOS Ltd (PDMC of AMRUT) के द्वारा नियुक्त सिविल इंजिनियर/अर्बन प्लानर/डाटा इंट्री ऑपरेटर/ऑफिस मैनेजर को बैठने हेतु ULB में स्थान उपलब्ध कराया जाय तथा उनकी उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम के द्वारा दर्ज करने का निदेश दिया गया।
- सभी ULB प्रतिनिधि एवं BRJP/BUIDCO को निदेश दिया गया कि Water Supply Project के SLIP के डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर कर विभाग में समर्पित किया जाय।
- सभी नगर निकायों को M/S ICRA Ltd. द्वारा ईमेल से समर्पित क्रेडिट रेटिंग (Credit Rating) से संबंधित अभिलेख की जाँच कर दिनांक 27.11.2018 तक उन्हें सूचित करने का निदेश दिया गया।

HFA योजना –

Housing for All Plan of Action (HFAPoA)

- सभी परामर्शी संस्था को निदेश दिया गया कि वैसे नगर निकाय जहाँ Demand Survey का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, उनका HFAPoA एवं AIP हर हाल में दिनांक 30.11.18 तक विभाग को उपलब्ध करा दें। साथ ही वैसे निकाय, जहाँ Demand Survey का कार्य प्रगति पर है, उन नगर निकायों में हर हाल में दिनांक 15.12.18 तक सर्वे पूर्ण कराकर उनका HFAPoA एवं AIP विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
- वैसे निकाय, जहॉ काफी समय से HFAPoA एवं AIP बोर्ड से पारित हेतु लंबित है, उन निकायों को इस माह के अन्त तक बोर्ड की बैठक बुलाकर HFAPoA एवं AIP पारित करवाने का निदेश दिया गया।

BLC Sanctioned Projects -

- नगर निकायों द्वारा BLC घटक में स्वीकृत परियोजनाओं के शत–प्रतिशत लाभुकों का भारत सरकार के पोर्टल पर MIS प्रविष्टि, DPR से Attachment एवं Adhaar Seeding नहीं किये जाने के कारण भारत सरकार द्वारा राशि की विमुक्ति नहीं की जा रही है, फलस्वरूप योजना की प्रगति बाधित हो रही है और साथ ही राज्य को वित्तीय क्षति हो रही है।
- सभी नगर निकायों को स्वीकृत परियोजनाओं के शत–प्रतिशत लाभुकों का भारत सरकार के पोर्टल पर MIS प्रविष्टि, DPR से Attachment एवं Adhaar Seeding नवम्बर माह में हर हाल में पूर्ण करने का निदेश दिया गया। यदि किसी कारण से परियोजना में स्वीकृत लाभुकों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाना संभव न हो तो उसे प्रत्यर्पित करने का बार–बार निदेश दिया गया है। निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में नगर निकायों को यह कार्य विभाग में उपस्थित होकर पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
- परामर्शी संस्था द्वारा किये गये Demand Survey में BLC घटक के अंतर्गत प्राप्त आवेदन एवं निकाय द्वारा स्वीकृत कराये गये आवासों के बीच काफी अंतर पाया गया है। इस संबंध में पूर्व में भी

विभागीय पत्रांक–1613 दिनांक–10.07.2018 द्वारा प्रस्ताव की मांग की गयी थी, लेकिन अधिकांश निकायों द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया। इस संबंध में निदेश दिया गया कि नगर निकायों द्वारा मांग के अनुरूप प्रस्ताव शीघ्र भेजा जाय।

- नगर निकायों को यह निदेश दिया गया कि पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं में शत–प्रतिशत आवासीय इकाईयों पर कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाय। यदि किसी कारण से परियोजना में स्वीकृत लाभुकों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाना संभव न हो तो उसे प्रत्यर्पित कर दिया जाय।

NULM योजना :–

EST&P -

- इस घटक के अन्तर्गत कार्यरत सभी SDCs को किये जाने वाले भुगतान की राशि BSDM के guideline के अनुरुप ही की जानी है, परन्तु भुगतान पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि DAY-NULM पोर्टल पर भी इसकी प्रविष्टि कर ली गई है। भुगतान की अद्यतन स्थिति से विभाग को एक सप्ताह के भीतर अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय एवं BSDM पोर्टल पर भी इसकी प्रविष्टि नगर मिशन प्रबंधक के माध्यम से सुनिश्चित करा लें।
- लाभार्थी के प्रमाणीकरण के उपरांत उनके नियोजन का कार्य एवं DAY-NULM पर प्रविष्टि में तेजी लायी जाय। उपरोक्त सभी कार्यों हेतु अपने नगर निकाय के नगर मिशन प्रबंधक को पत्र दिया जाए तथा इसकी अद्यतन स्थिति की सूचना विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

SM&ID -

- जिन नगर निकायों की प्रगति शून्य है, उन्हें निदेश दिया गया की कैंप लगाकर चक्रचालित राशि का वितरण कर लक्ष्य की प्राप्ति करें।
- जिन नगर निकायों में अभी तक COs एवं CRP का चयन नही किया गया है, उन्हें एक माह के अन्दर चयन कर लेने का निर्देश दिया गया।
- जिन नगर निकायों में ALO का गठन कर लिया गया है, वहॉ कई नगर निकायों मे ALO का पंजीकरण लम्बित पाया गया एवं पंजीकृत ALO, जिनको चक्रचालित राशि (Revolving Fund) अब तक नही दी गयी है, उन सभी निकायों को इस कार्य के निष्पादन हेतु निदेश दिया गया।

SEP -

- Interest subvention हेतु निदेश दिया गया कि नगर निकाय स्तर पर Verification नगर मिशन प्रबंधक के स्तर पर तथा Approval नगर आयुक्त/कार्यापालक पदाधिकारी के स्तर से किया जाना है। जो भी लाभुक DAY-NULM योजना से संबंधित ना हो या उनकी सूची नगर निकायों पर उपलब्ध नही है, उन सभी आवेदनो को निरस्त/अस्वीकृत किया जाना है।
- सभी बैंकों को निकाय स्तर से पत्र के माध्यम से लाभुकों की सूची उपलब्ध करायी जानी है तथा सभी नगर मिशन प्रबंधक को अपने स्तर से यह निदेश दिया जाना है कि बैंको मे स्वयं जाकर यह सुनिश्चित करें की DAY-NULM से संबंधित लाभुक की प्रविष्टि की जाय।
- जिन नगर निकायों की प्रगति शून्य है, उन्हे निदेशित किया गया की वहॉ के अद्यतन स्थिति से विभाग को प्रत्येक सप्ताह अवगत करायंगे।

SUSV -

- सभी निकायों को यह निदेश दिया गया कि फुटपाथी विक्रेता को पहचान पत्र की छपाई एवं वितरण का कार्य नगर निकायों के स्तर से ही किया जायेगा।
- पुर्णिया, मुजफ्फरपुर, सासाराम, जयनगर, बाढ़, छपरा, को अविलम्ब वेडिंग जोन का प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।
- विभाग के Technical Cell को निदेशित किया गया की भागलपुर, बिहियॉ तथा गोपालगंज से प्राप्त प्रस्तावों को जॉच कर यथोचित करवाई की जाय।
- सभी नगर निकायों को यह सूचित किया गया कि TVC का गठन Street Vendor Act 2014 मे वर्णित प्रावधानों के अनुरुप किया जाना है। इस हेतु विभाग द्वारा प्रणाली का विवरण भेजा जायेगा।
- सर्वेक्षित फुटपाथी विक्रेताओं, जिनको नगर निकायों के द्वारा अस्वीकृत/स्वीकृत किया गया है, उनकी एक सूची विभाग को 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराया जाय।
- मोतिहारी नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण हटाने का कार्य जल्द ही किया जाना है। उन्हें निदेशित किया गया कि अतिक्रमण मुक्त कराने के उपरांत विभाग को सूचित करे।

SUH -

- आरा, छपरा, दंरभंगा, नवादा, जहानाबाद, बेतिया एवं लखीसराय नगर निकायों द्वारा नये आश्रय स्थल को Operational करने के लिये दिनांक 02.10.2018 की समय सीमा निर्धारित की गयी थी, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई सूचना विभाग को उपलब्ध नही कराया गया है। निर्देश दिया गया कि इसे जल्द से जल्द Operational करा लिया जाय और विभाग को अवगत कराया जाए।
- बेगूसराय एवं गोपालगंज नगर निकाय को निदेशित किया गया कि आश्रय स्थल के निर्माण हेतु जिस भूमि का चयन किया गया है, उसका NOC प्राप्त कर विभाग को प्रतिवेदित किया जाय।

Other -

- NULM-PMC को निदेशित किया गया कि Tagged नगर निकायों में यह सुनिश्चित किया जाय कि नगर मिशन प्रबंधक वहॉ अपनी सेवा नियमित रुप से दें तथा base location के नगर निकायों को भी यह निदेश दिया गया कि वह Tagged नगर निकायों के आवंटित कार्यदिवस पर उनसे कार्य ना लें।

नाली–गली निश्चय योजना :–

- सर्वप्रथम 6 नवम्बर, 2018 को सभी नगर निकायों को e-mail के माध्यम से उपलब्ध कराये गये format के संबंध में जवाब भेजने हेतु निर्देशित किया गया। Format में विभिन्न वार्डों में निविदित योजनाओं के भौतिक प्रगति से संबंधित जानकारी मांगी गयी है। तत्पश्चात् हरनौत नगर पंचायत ने पृच्छा के बाद बताया कि वहाँ बोर्ड गठित नहीं होने के कारण सभी 19 वार्ड में से किसी भी वार्ड में निविदा की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है। विक्रमगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि अब सभी 27 वार्ड में निविदा कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शाहपुर नगर पंचायत, डेहरी डालमियानगर नगर परिषद, बोधगया नगर पंचायत, रफीगंज नगर पंचायत, मुजफ्फरपुर नगर निगम, समस्तीपुर नगर परिषद एवं किशनगंज नगर परिषद में लक्षित वार्डों की

संख्या एवं निविदित वार्डों की संख्या में अंतर का कारण कुछ वार्डों का पूर्व से ही संतृप्त रहना बताया गया।

- छपरा नगर निगम के नगर आयुक्त ने बताया कि दो वार्डों के निविदा की प्रक्रिया वार्ड पार्षद के विरोध के कारण शुरू नहीं की जा सकी है। बेतिया नगर परिषद में अब सभी वार्ड में निविदा निकाला जा चुका है। महुआ नगर पंचायत में भी अब सभी वार्डों में निविदा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रोसड़ा नगर पंचायत में शेष 12 वार्ड भी अब टेन्डर के प्रक्रियाधीन हैं। बरबीघा नगर परिषद में अब सभी 26 वार्ड में निविदा की प्रक्रिया पूर्ण है। बीहट नगर परिषद में भी शेष दो वार्ड में निविदा निकाली जा चुकी है।
- सभी नगर निकायों को नाली–गली योजना को गुणवत्तापूर्वक द्रुत गति से पूरा करने का निदेश दिया गया।

नल–जल निश्चय योजना :–

- **कसबा नगर पंचायतः–** नल–जल योजना की प्रगति के समीक्षोपरान्त कार्य की प्रगति पर काफी असंतोष व्यक्त किया गया। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बैठक में आश्वासन दिया गया कि दिनांक–28.11.2018 तक सभी वार्डों की निविदा प्रकाशित कर दी जाएगी।
- **बनमनखी नगर पंचायतः–** नल–जल योजना की प्रगति के समीक्षोपरान्त कार्य की प्रगति पर काफी असंतोष व्यक्त किया गया। कार्य में तेजी लाने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी को निदेशित किया गया।
- **मनिहारी नगर पंचायतः**–अपर निदेशक, बिहार विकास मिशन के द्वारा भ्रमण के क्रम में नल–जल योजना में कतिपय त्रुटियां पाई गई है। कार्यपालक पदाधिकारी को विभागीय निदेश के आलोक में अविलंब त्रुटि सुधार करने हेतु निदेश दिया गया है तथा कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने का निदेश दिया गया।
- P.H.E.D द्वारा 48 नगर निकायों में जलापूर्ति का कार्य पूर्व में किया गया है तथा उसका O & M भी उनके द्वारा किया जा रहा है। सभी 48 नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी को दिनांक 07 दिसम्बर को P.H.E.D के साथ प्रस्तावित बैठक में उपस्थित होने का निदेश दिया गया।
- बिहार विकास मिशन द्वारा निश्चय योजना के अन्तर्गत हर घर नल का जल में निकायों में चल रही योजनाओं की संख्या की विवरणी मांगा जा रहा है। सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को उक्त निदेश के आलोक में तीन दिनों के अन्दर निकाय में संचालित योजनाओं की विवरणी समर्पित करने का निदेश दिया गया। तत्संबंधी विहित प्रपत्र भी सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को बैठक में उपलब्ध कराया गया है।
- नगर निकायों में बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा संचालित राज्य योजना के अन्तर्गत हर घर नल का जल निश्चय योजना में extension of pipe line के अन्तर्गत आवंटित राशि अविलंब सभी कार्यपालक पदाधिकारी को BRJP को हस्तांतरित करने का निदेश दिया गया।
- सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि निश्चय योजना के अन्तर्गत अवशेष वार्डों की निविदा जहाँ अब तक प्रकाशित नहीं कराई गई, वहाँ इस माह के अंत तक निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली जाय तथा गृह जल संयोजन के कार्य में त्वरित प्रगति लाए।

राज्य योजना :–

- राज्य योजना अन्तर्गत विभिन्न नगर निकायों में पथ एवं पुलिया निर्माण, नाला निर्माण तथा नागरिक सुविधा अन्तर्गत स्वीकृत 20 लाख से अधिक राशि की योजनाओं की समीक्षा की गई। निदेश दिया गया कि वैसी योजनाएँ, जिसमें कार्य प्रारंभ हो चुका है, उसे शीघ्र पूर्ण किया जाय।
- राज्य योजनान्तर्गत विभिन्न मदों में देनदारी की राशि की प्राप्ति हेतु पूर्व में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ पर योजना का नाम, प्राक्कलित राशि, व्यय की गई राशि अंकित करते हुए अधियाचना शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।
- जिन योजनाओं में कार्य पूर्ण हो गया है तथा आवंटित राशि के विरूद्ध निविदा की राशि कम होने के कारण योजनाओं में जो अवशेष राशि बची है, उस राशि से नई योजना नहीं ली जाय बल्कि उक्त अवशेष राशि को कोषागार में जमा करा दिया जाय।
- 14वें वित्त आयोग मद की राशि की समीक्षा की गयी । समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि विभिन्न नगर निकायों में इस मद में काफी राशि अव्यवहृत पड़ी हुई है। कई नगर निकायों द्वारा बताया गया कि निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उक्त राशि प्रावधानित मदों में शीघ्र व्यय करने का निदेश दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि अगली मासिक समीक्षा बैठक के पूर्व अव्यवहृत राशि एवं राशि व्यय नहीं होने का कारण सहित प्रतिवेदन विभागीय एम०आई०एस० को उपलब्ध करा दिया जाय ताकि अगली बैठक में इसकी विस्तृत समीक्षा की जा सके।

उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

- निकायवार लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि गत मासिक बैठक में दिए गए निदेश के आलोक में निम्नलिखित नगर निकायों से लंबित अंकेक्षणों का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है:–

शेखपुरा–664/2011–12, 700/2017–18, सासाराम–56/2016–17, 548/2012–13, औरंगाबाद–740/2010–11, 759/2013–14, 527/2014–15, हिलसा–69/2011–12, 890/2017–18, खगौल–529/2012–13, 751/2013–14, मधुबनी–644/2010–11, 341/2013–14, 57/2009–10, सहरसा–504/2014–15, 187/2010–11, भभुआ–738/2017–18, मुंगेर–722/2015–16, 62/2008–09, भागलपुर–18/2000–01, 8/2001–02, 466/2006–07, 414/2006–07, 416/2008–09, 691/2009–10, 560/2010–11, 69/1999–00, 514/2011–12, 531/2012–13, 595/2013–14, मोतीपुर–291/2016–17, 342/2013–14, 619/2011–12, 753/2005–06, वारसलीगंज–228/2011–12, चकिया–319/2016–17, परसाबाजार–666/2017–18, दिघवारा–653/2017–18, जगदीशपुर–593/2007–08, रामनगर–9/2012–13, पीरो–380/2012–13, गोगरी जमालपुर–2/2012–13, 583/2013–14, झाझा–532/2014–15, 421/2013–14, 498/2008–09, 713/2017–18.

उक्त के अलावे अन्य किसी नगर निकायों से लंबित अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। निर्धारित तिथि के बाद भी जिन नगर निकायों से अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए विभाग स्तर से प्रस्ताव उपस्थापित किया जाय।

- गत मासिक बैठक में यह भी निदेश दिया गया था कि वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2015–16 तक सहायक अनुदान मद की आवंटित राशि, जिसका उपयोग अब तक नहीं किया गया जा सका है और निकायों के पी.एल. खाता/बैंक खाता में पड़ा हुआ है, उस राशि को 10 दिनों के अंदर सरकार के संबंधित शीर्ष में चालान से जमा कर उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र 15 दिनों के अंदर विभाग को समर्पित किया जाय। उक्त निदेश का अनुपालन किसी भी नगर निकायों द्वारा नहीं किया गया, जिसके लिए क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा गया कि पी.एल./बैंक खाता में पड़ी हुई राशि को सरकार के संबंधित शीर्ष में निश्चित रूप से एक सप्ताह के अन्दर जमा कर उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को उपलब्ध कराया जाय अन्यथा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

- नगर निकायों में लंबित ए०सी०/डी०सी० राशि के संबंध में भी गत मासिक समीक्षा बैठक के दौरान उपस्थित सभी नगर आयुक्तों/नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को निदेश दिया गया था कि लंबित ए०सी० राशि का डी०सी० विपत्र तैयार कर शीघ्र महालेखाकार (ले०एवंह०), बिहार, पटना को प्रेषित करें तथा महालेखाकार (ले०एवंह०), बिहार, पटना से सम्पर्क कर डी०सी० विपत्र का सामंजन कराते हुए उससे संबंधित समायोजन पत्र 15 दिनों के अंदर विभाग को उपलब्ध करा दें, किन्तु इसके वावजूद किसी भी नगर निकायों से लंबित ए०सी०/डी०सी० राशि का समायोजन पत्र अभी तक विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है, इस पर भी खेद व्यक्त किया गया। इस संबंध में पुनः स्मरण दिलाया गया कि दिनांक 15.12.2018 के पूर्व तक सामंजन पत्र विभाग को उपलब्ध करा दें। इस संबंध में निदेश पत्र भी सभी संबंधित नगर निकायों को भेजा जा चुका है।

- भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2007–08 की कंडिका 5.8.2 (अग्रिमों का असमायोजन) से संबंधित निम्नलिखित नगर निकायों के पास अग्रिम समायोजन हेतु राशि लम्बित है:–

बोधगया–7.23 लाख, बक्सर–164.00 लाख, गया–251.00 लाख, मधुबनी–45.14 लाख, जयनगर–73.44 लाख (श्री सुर्यदेव सिंह अमिन के पास), 3.21 लाख (श्री विमल कुमार चौधरी के पास), 1.88 लाख (श्री जर्नादन सिंह के पास), कहलगांव–1.94 लाख, किशनगंज–3.43 लाख, बाँका–1.65 लाख, मुजफ्फरपुर–94.35 लाख, सिवान–157.51 लाख एवं जगदीशपुर–0.33 लाख.

संबंधित नगर निकायों को उपरोक्त लंबित अग्रिम राशि का समायोजन करते हुए उसका अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

<u>निकायों का वित्तीय वर्ष 2018–19 का बजट प्राक्कलन</u> :–

- निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में होल्डिंग टैक्स संग्रह का लक्ष्य एवं उसके विरूद्ध वसूली की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ ही निकायों द्वारा प्रथम चार माह में संतोषजनक वसूली की गई है, लेकिन अधिकांश निकायों की होल्डिंग टैक्स वसूली संतोषजनक नहीं है। कुछ निकायों यथा नगर निगम, छपरा, पूर्णियां, बेगूसराय, आरा, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर, पटना, मुंगेर एवं नगर परिषद, मोकामा, बख्तियारपुर, जमुई, अरवल, बीहट, फतुंहा, रक्सौल, नगकटियागंज, मधेपुरा, लक्खीसराय, मधुबनी, बगहा, फुलवारीशरीफ, फारबीसगंज, डेहरी डालमियांनगर, खगड़िया, मसौढ़ी तथा नगर पंचायत घोघरडीहा, कसबा, कोईलवर, बिहियां,

अरेराज, बेलसंड, सोनपुर, पकड़ीदयाल, एकमा बाजार, कांटी, बैरगनियाँ, शेरघाटी, निर्मली साहेबगंज, शिवहर, मनेर, बहादुरगंज एवं नासरीगंज की राजस्व प्राप्ति असंतोषजनक है। इसके अतिरिक्त नये परिसम्पत्तियों पर भी होल्डिंग टैक्स प्राप्ति की कार्रवाई का निदेश दिया गया।

- नगर पंचायत, बारसोई एवं घोघरडीहा का लक्ष्य एवं वसूली शून्य दर्शाया गया है। उन्हें लक्ष्य निर्धारित कर वसूली संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

Revenue (Other Sources) -

- निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में Mobile Tower, Trade licence, Shop Rent Advertisment, Bus stand, other sairats, Mutation fee, Birth and Death Registration fee, Building permission fee, Any other sources से संग्रह का लक्ष्य एवं उसके विरूद्व वसूली की समीक्षा की गई। उन्हें अद्यतन वसूली प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देष दिया गया ताकि अन्य स्रोत से राजस्व प्राप्ति की जानकारी हो सके।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

25/11/2015

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–6089 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 27/11/18

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर निगम, सभी नगर परिषद एवं सभी नगर पंचायत/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/सभी विभागीय पदाधिकारी/अभियंत्रण कोषांग/MIS Cell/SPMG Cell/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/11/2015

प्रधान सचिव